क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियाजना का नाम:–पगाट ग्रामीण पैदल मोटर मार्ग का निर्माण

वन क्षेत्र नैना वन प्रभाग नैनीताल।

100 पौधौ का रोपण हेतु प्रस्तावित धनराशि

क्रम संख्या	कार्य विवरण	संख्या	नपत ल0	चौ0	उ0	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	सर्वे व सीमांकन कार्य					0.05	Hact.	53	2.65
2	क्षेत्रीय सफाई व झाड़ी कटान					0.05	Hact.	692	34.60
3	अग्रिम दीवारबन्दी फेंसिंग					0.05	Hact.	15540	777.00
4	अगिम मृदा कार्य करना	1	0.3	0.3	0.45	0.05	Hact.	8000	100.00
5	निरीक्षण बटिया बनाना					0.05	Hact.	265	13.25
6	पौधे की कीमत प्रथम वर्ष					0.05	Hact.	8480	424.00
7	अन्य व्यय					0.05	Hact.	450	22.50
8	भूमि एंव जल संरक्षण कार्य					0.05	Hact.	7500	375.00
	कुल योग (प्रथम चरण)								**2049.00**
1	गड्ढा भरान करना	1	0.3	0.3	0.45	0.05	Hact.	1400	70.00
2	पौधौ की कीमत द्वितीय वर्ष	-	-	-	-	0.05	Hact.	3400	170.00
3	पौध ढुलान कार्य (75 प्रतिशत बैग तथा 25 प्रतिशत जड़		-	-	-	0.05	Hact.	9000	450.00
4	पौध रोपण तथा थावलाबन्दी कार्य	-	-	-	-	0.05	Hact.	2300	115.00
5	निराई, गुड़ाई तथा मल्चिंग कार्य	-	-	-	-	0.05	Hact.	1600	80.00
6	रासायनिक खाद व दवा	-	-	-	-	0.05	Hact.	230	11.50
7	देख–रेख व रख–रखाव कार्य वर्ष में 8 माह	-	-	-	-	0.05	Hact.	3000	150.00
8	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत सूखी घास–फूस जलाना आदि	-	-	-	-	0.05	Hact.	214	10.70
9	सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	-	-	-	-	0.05	Hact.	150	7.50
10	प्रोत्साहन व्यय / प्रशिक्षण व्यय	-	-	-	-	0.05	Hact.	640	32.00
11	अन्य व्यय	-	-	-	-	0.05	Hact.	1000	50.00
	कुल योग (द्वितीय चरण)								**1146.70**
	तृतीय चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य	-	-	-	-	0.05	Hact.	5500	275.00
	चतुर्थ चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य	-	-	-	-	0.05	Hact.	5500	275.00
	पंचम चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य	-	-	-	-	0.05	Hact.	6050	302.50
	कुल योग (तृतीय से पंचम चरण)	-	-	-	-				**2898.50**
	सषटम चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य	-	-	-	-	0.05	Hact.	6655	1131.35
	सत्तंम चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य	-	-	-	-	0.05	Hact.	7300	1241.00
	अष्टम चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य	-	-	-	-	0.05	Hact.	8000	1360.00
	नवंम चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य	-	-	-	-	0.05	Hact.	8800	1496.00
	दशंम चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य	-	-	-	-	0.05	Hact.	9700	1649.00
	कुल योग(संषटम से दशम चरण)	-	-	-	-				**6877.35**
	महायोग क्षतिपूरक वृक्षारोपण	-	-	-	-				**12971.43**
								say	**12971.00**

उप प्रभागीय वनाधिकारी (नै०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

वन क्षेत्र अधिकारी
नैना वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल.

परियोजना का नामः– पंगोठ ग्रामीण पैदल मार्ग का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।

ह०/–
प्रयोक्ता एजेन्सी
28-9-2013

परियोजना का नामः–   पंगोठ ग्रामीण पैदल मार्ग का   निर्माण

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि उक्त परियोजन हेतु ग्रामीणों के पैदल मार्ग के निर्माण से ग्राम पंचायत का` कोई आपत्ति नही हैं ।

28-9-2013

प्रधान / सरपंच

मोहर

परियोजना का नामः– पंगोठ ग्रामीण पैदल मार्ग का निर्माण

परियोजना की लम्बाई–चौड़ाई का प्रमाण–पत्र।

उपरोक्त योजना हेतु वन भूमि की लम्बाई 74 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर कुल 222 वर्ग मीटर अर्थात 0.0222 हे0 है।

वन क्षेत्राधिकारी
नैना रेंज
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल

प्रयोक्ता एजेन्सी

उप प्रभागीय वनाधिकारी (नै०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल.

परियोजना का नामः–   पंगोठ ग्रामीण पैदल मार्ग का निर्माण

वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण–पत्र।

प्रस्तावित परियोजना हेतु 2..समरेखणों पर विचार किया गया। समरेखण संख्या–2 में वृक्ष प्रभावित होने के कारण निरस्त किया गया एवं समरेखण संख्या.1 में कोई वृक्ष प्रभावित न होने तथा कम वन भूमि प्रभावित होने के कारण उचित पाया गया जो कि प्रस्तावित है।

29.9.13

प्रधान

प्रयोक्ता एंजेन्सी

परियोजना का नामः– पंगोठ ग्रामीण पैदल मार्ग का निर्माण

कार्य प्रारम्भं न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

(प्रयोक्ता एजेन्सी) 28-9-2013

प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
नैना रेंज
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल

उप प्रभागीय वनाधिकारी (नै०)
नैनी ताल व० प्रभाग, नैनीताल.

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल.

कार्यालय भूवैज्ञानिक
भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
जिला टास्क फोर्स, नैनीताल स्थित हल्द्वानी।

फोन व फैक्स: 05946–221247

पत्रांक : 574 / टा0फो0नैनी0 / मार्ग / 2013–14 दिनांक : 28-10-13

सेवा में,

वन क्षेत्र अधिकारी,
नैना वन क्षेत्र (रॉची),
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषय: **ग्राम पंगूट, तहसील व जनपद नैनीताल में 74 मीटर लम्बाई के ग्रामीण पैदल मार्ग के निर्माण हेतु चयनित 0.0222 हे0 वन भूमि की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।**

महोदय,

कृपया आपके पत्रांक 44 / 13–01 (नैना क्षेत्र), दिनांक: 25.10.2013 के माध्यम से सन्दर्भित उपरोक्त प्रस्तावित स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 27.10.2013 को श्री सतीश चन्द्रा, स्थानीय निवासी की उपस्थिति में किया गया, जिसकी निरीक्षण आख्या सं0 108/ टा0फो0नैनी0 / मार्ग / 2013–14 संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:–

1. निरीक्षण आख्या।

भवदीय
(लेख राज)
सहायक भूवैज्ञानिक
कृते प्रभारी अधिकारी

सं0 / उपरोक्तानुसार / तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित:–

1– जिलाधिकारी नैनीताल।
2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।

(सहायक भूवैज्ञानिक)
कृते प्रभारी अधिकारी

निरी0आ0 सं0 108 /टा0फो0नैनी0/मार्ग/2013–14

कार्यालय भूवैज्ञानिक, भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई, जिला टास्क फोर्स, नैनीताल स्थित हल्द्वानी

ग्राम पंगूट, तहसील व जनपद नैनीताल में 74 मीटर लम्बाई के ग्रामीण पैदल मार्ग के निर्माण हेतु चयनित 0.0222 हे0 वन भूमि की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

प्रस्तावनाः–

वन क्षेत्र अधिकारी, नैना वन क्षेत्र रॉची, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के पत्रांक 44/13–01 (नैना क्षेत्र), दिनांकः 25.10.2013 के माध्यम से सन्दर्भित उपरोक्त प्रस्तावित स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 27.10.2013 को श्री सतीश चन्द्रा, स्थानीय निवासी की उपस्थिति में किया गया, जिसकी निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

स्थितिः–

प्रस्तावित स्थल, नैनीताल से 15 किमी0 की दूरी पर स्थित ग्राम सभा बुढलाकोट के ग्राम पंगूट मे स्थित है। ग्राम पंगूट में आवासीय भवन तथा कृषि भूमि स्थित है जो नैनीताल–पंगूट मोटर मार्ग से लगभग 20 मीटर अधिक ऊंचाई वाले भूभाग में स्थित है। स्थानीय निवासियों के आवागमन हेतु ग्राम से नैनीताल–पंगूट मोटर मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल वर्तमान में एक खुला ढालदार भूभाग है जिसमें स्थानीय प्रजाति की झाड़ियां व स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में वृक्ष आदि विद्यमान हैं। स्थल के उत्तर–पूर्व की ओर खुला ढालदार भूभाग व उसके बाद नैनीताल–पंगूट मोटर मार्ग स्थित है। स्थल के दक्षिण–पश्चिम की ओर स्थल से अधिक ऊंचाई वाला खुला भूभाग व उसके बाद ग्राम पंगूट की नाप भूमि स्थित है। स्थल के उत्तर–पश्चिम व दक्षिण–पूर्व की ओर खुले ढालदार भूभाग स्थित हैं जिनमें सघन झाड़ियां व वृक्ष विद्यमान हैं। प्रस्तावित स्थल के निकट स्थित नैनीताल–पंगूट मोटर मार्ग का समरेखण 130^0–310^0 है। प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार, प्रस्तावित स्थल, नैनीताल वन प्रभाग के अन्तर्गत कक्ष सं0 15 में स्थित वन भूमि है जिसमें से ग्रामीण पैदल मार्ग के निर्माण हेतु 74.0 मीटर लम्बाई व 3.0 मीटर चौड़ाई में कुल 222 वर्गमीटर अर्थात 0.0222 हेक्टेयर वन भूमि का हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है।

आवेदित स्थल भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट सं0 53 **O/7** के अन्तर्गत स्थित है। प्रस्तावित मार्ग का उत्तर–पश्चिम की ओर स्थित प्रारम्भिक बिन्दू समुद्र तल से लगभग 2022 मीटर की ऊंचाई पर तथा निम्न अक्षांश व देशान्तर पर स्थित हैः–

उत्तर	29^0	25'	21.8"	अक्षासं
पूर्व	79^0	25'	44.5"	देशान्तर

प्रस्तावित मार्ग का दक्षिण–पूर्व की ओर स्थित अंतिम बिन्दू समुद्र तल से लगभग 2008 मीटर की ऊंचाई पर तथा निम्न अक्षांश व देशान्तर पर स्थित हैः–

उत्तर	29^0	25'	21.7"	अक्षासं
पूर्व	79^0	25'	46.6"	देशान्तर

भूगर्भीय संरचना :–

भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से प्रस्तावित स्थल हिमालय पर्वत श्रंखला के विकरित सोपानो के मध्य मसूरी समूह की ब्लेनी फोर्मेशन के अन्तर्गत आता है। स्थल की सतह पर भूरे रंग की मोटे कणो वाली मृदा का मोटा आवरण है जिसमें भूरे–ग्रे रंग की चट्टानों के छोटे कोणीय टुकड़े मिश्रित अवस्था में विद्यमान हैं। स्थल

के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित उर्ध्वाधर खुले भूभागों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि स्थल पर नीचे की ओर भूरे–ग्रे रंग की महीन कणो वाली शेल/स्लेट प्रकृति की चट्टाने स्थित हैं जिनका विस्तार उत्तर–दक्षिण की ओर है। स्थल पर स्थित चट्टानो की नति 10^0–15^0 व दिशा पश्चिम की ओर है। स्थल के निकट स्थित चट्टानो में वलन व संधियां पायी गयी जिनके कारण चट्टाने टूटने की प्रवृति रखती हैं। स्थल पर स्थित चट्टानों में क्वार्टज की श्वेत लिनिएशन स्थित हैं जो महीन से लगभग एक इंच तक की मोटाई प्रदर्शित करती हैं तथा चट्टानों की परतों के समानान्तर स्थित हैं। स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में एक भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र भी स्थित है जिसमें दीवारों का निर्माण कर सुरक्षात्कम उपाय किये जा रहे हैं। स्थल पर सामान्य ढलाने 25^0 से 35^0 तक पायी गयी जिनकी दिशा उत्तर 50^0 की ओर है। प्रस्तावित स्थल के उत्तर–पश्चिमी भाग में ढलाने कम तथा दक्षिण–पूर्वी भाग में मोटर मार्ग के निकट अधिक ढलाने स्थित हैं। प्रस्तावित स्थल एक छोटे हिलॉक के शिखर के निकट तथा उत्तर–पूर्व की ओर ढालदार भूभाग के मध्य स्थित है जो कोसी नदी के आवाह क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। निरीक्षण के समय स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में कोई अधिक ढालदार भूभाग व कोई प्राकृतिक नाला आदि दृष्टिगोचर नही होता है। स्थल वर्तमान में स्थिर (प्राकृतिक आपदा को छोड़कर) प्रतीत होता है।

सुझाव एवं शर्तें:–

प्रथम दृष्टया निरीक्षण के दौरान वर्तमान में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नही आया जिससे कि मार्ग निर्माण से भूखण्ड को कोई खतरा उत्पन्न हो, तथापि भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से मार्ग का निर्माण करते समय निम्नलिखित सुझावों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा:–

1. मार्ग के समरेखण में उत्तर–पूर्व की ओर स्थित स्थल से कम ऊंचाई वाले भूभाग मे मार्ग निर्माण करते समय सुरक्षात्मक उपाय किये जाने आवश्यक होंगे।
2. मार्ग का निर्माण करते समय, स्थल के दक्षिण–पश्चिम की ओर स्थित स्थल से अधिक ऊंचाई वाले भूभाग में सुरक्षात्कम उपाय किये जाने आवश्यक होगें।
3. मार्ग निर्माण हेतु चट्टानों के कटान में विस्फोटकों का प्रयोग नही किया जाना होगा।
4. मार्ग कटान के दौरान निकलने वाले अपशिष्ट का व्यवस्थित ढंग से निस्तारण किया जाये जिससे कि पर्यावरण को कोई क्षति न पंहुचने पाये।
5. मार्ग निर्माण के दौरान नालियों का निर्माण कर पानी का निकास कलवर्ट तक किया जाना होगा।
6. स्थल पर यथासम्भव कटान किये गये भाग में व्हीपहोल युक्त मजबूत धारक दीवारों का निर्माण किया जाये ताकि नये भूस्खलन क्षेत्र उत्पन्न होने की सम्भावना को कम किया जा सके।
7. स्थल पर मार्ग का निर्माण कार्य वन भूमि हस्तान्तरण के उपरान्त ही किया जाना होगा।
8. वन संरक्षण अधिनियम 1980 का अनुपालन किया जाना होगा।

अतः उपरोक्त सुझावों के अनुपालन की दशा में ही उपरोक्त स्थल, भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है। उचित होगा कि कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करे कि प्रस्तावित स्थल पर मार्ग के निर्माण करते समय उपरोक्त सुझावों एवं शर्तो का अनुपालन किया जाये। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा उपरोक्त सुझावों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं उक्त के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली भूगर्भीय दृष्टिकोण से विपरीत परिस्थितियों के लिये कार्यदायी संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।

(लेख राज)
सहायक भूवैज्ञानिक

परियोजना का नामः– पंगोठ ग्रामीण पैदल मार्ग का निर्माण

भू–वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू–वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों / शर्तो का निर्माण कार्य के दौरान.प्रयोक्ता एजेन्सी .द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

प्रयोक्ता एजेन्सी
25-9-2013

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.

(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.

(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.

(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.

(ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping is view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in roak. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.

(iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made

(v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with go d results.

(vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।

प्रयोक्ता एजेन्सी

25-9-2015

37

परियोजना का नामः— पंगोठ ग्रामीण पैदल मार्ग का निर्माण

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख–रखाव के दौरान. प्रयोक्ता एजेन्सी .द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

प्रयोक्ता एजेन्सी
28-9-2013

वन क्षेत्राधिकारी
नैना रेंज
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल

परियोजना का नाम:— पंगोठ ग्रामीण पैदल मार्ग का निर्माण

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित 0.0222 हे0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नही है।

वन क्षेत्राधिकारी
नैना रेंज
नैनीताल वन प्रभाग,नैनी

प्रयोक्ता एजेन्सी 25-9-2023

प्रभागीय वनाधिकारी

जिलाधिकारी 29/10

जिलाधिकारी.
नैनीताल

पटवारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी (नै०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल.

तहसीलदार,
कोश्यां कुटौली (नैनीताल)

उप जिलाधिकारी
कोश्यां-कटौली
जनपद नैनीताल

परियोजना का नामः– पंगोठ ग्रामीण पैदल मार्ग का निर्माण

धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नही की गई है।

(प्रयोक्ता एजेन्सी) प्रभागीय वनाधिकारी जिलाधिकारी वन क्षेत्राधिकारी
नैना रेंज
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल

जिलाधिकारी.
नैनीताल

पटवारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी (नै.)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग

उप जिलाधिकारी
कोश्यां–कुटौली
जनपद नैनीताल

परियोजना का नामः— पंगोठ ग्रामीण पैदल मार्ग का निर्माण

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

ग्राम	परिवार	जनसंख्या
पंगोठ	15	60
......	....	....

प्रयोक्ता एजेन्सी
2-4-2013

परियोजना का नामः— पंगोठ ग्रामीण पैदल मार्ग का निर्माण

दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु .0222 हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के एवज में दुगने अवनत वन क्षेत्र अर्थात 0.0444 हे0 में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी .द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नामः– पंगोठ ग्रामीण पैदल मार्ग का निर्माण

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

प्रयोक्ता एजेन्सी।

<u>परियोजना का नामः–</u> पंगोठ ग्रामीण पैदल मार्ग का निर्माण

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रयोक्ता ऐजेन्सी.द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा जमा करा दी जायेगी।

वन क्षेत्राधिकारी
नैना रेंज
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल

ह0/-
प्रयोक्ता, एजेन्सी
25-9-23

Cost Benefit Ratio Chart

Name of Project –

Block:- **Disti:-**

SL. No.	Particulars	Amount	Remark
1	**Total cost (Investment incrred)**		
(A)	Construction Cost of Project		
(B)	N.P.V. Amount to be disposed @ 9.20 lak/Hararc 5 x9.20=		
(D)	Substitule/Alternation Planlation Cost to be Disposed:-		
	Total		
2	Benefits:- Bebefits from (Taking Age of Road As 50 Years)		
(A)	Economics Benefits-Market Development Taking		
(B)	Direct Employment of Labours-		
(C)	Employment Generation Due to other activities		
Note	Therefore construction of Economically Viable and social bencficial.		

Name of Project:-
Parameter for Evaluation of loss of Forests
Nature of Proposal Annexure-VI (B)

Sl.no.	Parameters	Roads Tr. lines & Raliway line
1	2	**3**
1	Loss of Value of timber, fuelwood and minor forest produce on an annul basis, including loss of man hours per annum of people who derived livelihood and wage from the harvest of these commodities	
2	Loss of Animals husbandry productivity	

	including loss of fodder	
3	Cost of human resettlement	
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Buildings, Schools, Dispensaries, Electric lines, Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	
5	Environmental losses;(Soil erosion, effect on hydrological cycle, wildlife habitat, microclimate upsetting of ecological balance.)	
6	Suffering to oustees	Nil

Name of Projct:-

Parameter for Evaluation of Benefit, notwithstanding loss of Forests
Nature of Proposal Annexure-VI (C)

Sl.no.	Parameters	Roads Tr. lines & Raliway line
1	Increase in productivity attributable to the specific project.	
2	Benefits to economy	
3	No. of population benefited.	
4	Employment potential.	
5	Cost of acquisition of facility on non forest land wherever feasible.	
6	Loss of (a) agricuitural & (b) animal, husbandry production due to diversion of forest land.	
7	Cost of rehabilitating the displaced persons as different from compensatory amounts given for displacement.	
8	Cost of supply of free fuel-wood to workers residing in or near forest area during the period of construction.	

परियोजना का नामः– पंगोट ग्रामीण पैदल मार्ग का निर्माण

स्थल विशिष्ट होने न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट है।

वन क्षेत्राधिकारी
नैना रेंज
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीत

जिलाधिकारी,

उप प्रभागीय वनाधिकारी (नै०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

प्रभागीय वनाधिकारी

जिलाधिकारी
नैनीताल

कुमाऊँ राजस्व पुलिस
पटवारी
पट्टी ....
तहसील व जिला नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल.

तहसीलदार
कोश्या कुटोली (बेतालघाट)

कोश्या कुटोली
जनपद नैनीताल

परियोजना का नामः– पंगोठ ग्रामीण पैदल मार्ग का निर्माण

परियोजना से उत्पादित मलवें के निस्तारण की समानचित्र योजना

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रयोक्ता एजेन्सी

वन क्षेत्राधिकारी
नैना रेंज
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल

प्रपत्र – 41

MUCK DISPOSAL PLAN

पूरन चंद
ग्रा पंगोट, बुधलाकोट
नैनीताल

ग्राम पंचायत बुधलाकोट
प्रधान,
वि० ख० बेतालघाट (नैनीताल)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद नैनीताल में पंगोट (बुढ़लाकोट) पैदल मार्ग के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि का उपयोग किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

खाता संख्या :– 88
खेत संख्या:– 280-57
भूमि का क्षेत्रफल:– 0-020

भवदीय

पूनम चन्द
पत्नी श्री सतीश चन्द
ग्राम पंगोट, बुढ़लाकोट
जिला – नैनीताल

ग्राम पंचायत बुढ़लाकोट वि० ख० बेतालघाट (नैनीताल)

दिनांक 9/10/2014

ANNEXURE – I

Name of work : Pangot Paidal Marg.

S.No.	Material Received from hill side cutting	222	Cum
1-	(74×3×1)		
2-	25% for swell factor	56	cum
	Total	278	cum

Disposable and Use of Material

1.	Retaining walls	60	Cum
2.	Breast walls	30	Cum
3.	Construction of pucca drain	25	Cum
4.	Soling work	–	
5.	Material disposal by carrage in dumping yard	115	cum

Location and Quantity of Dabris Disposal

Location of Dumping yard	Size of Dumping yard	Type of Land	Capacity of Dumping yard (cum)
फ्री0 खा88 खाता 286-57	340 cm	Private	350 cm
		Total.	350 cm

Location and Quantity of Dabries Disposal

S.No.	Total Dabries	Material Disposal by Cartage	Reused Material for Road Construction	Total Disposal in Duping Zone	Balance Dabris
1	278 cm	115 cm	163 cm	115 cm	–

पूरन चन्द
ग्रा0 पंगोट
नैनीताल

ग्राम पंचायत बुढ़लाकोट ... (नैनीताल)

MUCK DISPOSAL EXCERSISE INDEX

1. Construction of Pangot Paidal Marg, Muck Disposal Annexure- I
2. Detaisl of Muck Disposal Yards with Land Owner Annexure – II

प्रधान-पं
ग्रा० पंगोट
नैनीताल

:मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके यायक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही हांगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूतिम का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक बिभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय्र स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा०नि०वि० के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व० क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी० दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी सा०नि०वि० द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ०प्र० वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेडों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेडों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुश्चित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्ते याचक विभाग को मान्य है।

ह०
प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नामः– पंगोठ ग्रामीण पैदल मार्ग का निर्माण

प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु आर0सी0सी0 पिलरों का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन / सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

बन क्षेत्राधिकारी
नैना रेंज
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीत

परियोजना का नामः– पंगोठ ग्रामीण पैदल मार्ग का निर्माण

लीज अवधि का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि 30.वर्षो की लीज पर ली जा रही है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

प्रयोक्ता एजेन्सी

वन क्षेत्राधिकारी
नैना रेंज
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग